न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगागनर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—85 / 2023

जी.सी.एम.एस नं.—2023 / 270

परविन्द्र कौर पुत्री जरनैलसिंह पत्नी मखनसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं.—13 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— प्रार्थीया

बनाम्

1. चेतासिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति छिम्पा निवासी चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. गुरचरण सिंह जरनैल सिंह जाति छिम्पा निवासी चक 4 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित

1. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट —प्रार्थीया की ओर से
2. श्री अमित त्यागी एडवोकेट —अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—**16/7/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील अनूपगढ़ कि प्रार्थीया की माता तेजकौर पत्नी जरनैल सिहं के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 1 एम एस आर का खाता संख्या (नया) 3 का पत्थर सं.—297 / 445 मुरब्बा नं.—36 का किला नं.—5 / 3, 6, 7 / 4, 13 / 4, 14 / 2, 15, 16, 17 / 2, 24 / 2 की कुल 1.343 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी मे से 0.331 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीया की माता तेजकौर की मृत्यू दिनांक 23.0[illegible] हो चुकी हैं जिसके देहान्त उपरांत प्रार्थीया की माता तेजकौर के नाम की [illegible].331 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया, अप्रार्थी सं.—1 व 2 [illegible] को विरास्तन अधिकार के तहत प्रत्येक को 1 / 4 हिस्सा के रूप में [illegible] होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। कृषि भूमि वाके चक 1 एम एस आर का खाता संख्या (नया) 3 का पत्थर सं.—297 / 445 मुरब्बा नं.—36 का किला नं—5 / 3, 6, 7 / 4,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

13/4, 14/2, 15, 16, 17/2, 24/2 की कुल 1.343 हैक्टर भूमि सयुक्तं खाता की भूमि हैं जिसे आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। यह कि यह कि प्रार्थीया की माता के देहान्त के उपरांत उपरोक्त वारिसान में से प्रार्थीया की बहन जसवीरकौर पुत्री जरनैलसिहं ने उपरोक्त कृषि भूमि में से अपने 1/4 हिस्सा का हक त्याग करते हुऐ अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 24.08.2017 को निष्पादित कर पंजीकृत करवा दी दस्तावेज दस्तबदारी दिनांक 24.08.2017 की प्रमाणित प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। तत्पश्चात अप्रार्थी सं.–1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभक्त करके व तथ्यो को छूपाकर षडयंत्रीय योजना से उक्त दस्तबरदारी दिनांक 24.08.2017 के आधार पर उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी में वर्णित कृषि भूमि का इन्तकाल तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ इन्तकाल सं.–153 दिनांक 01.06.2018 को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.–1 व 2 द्वारा अपने नाम से करवाकर प्रार्थीया को दस्तबरदारी के उपरांत प्राप्त हिस्सा से महरूम कर दिया ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से दर्ज इन्तकाल सं.–153 दिनांक 01.06.2018 आरम्भ से शुन्य व विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है। स्व. तेजकौर के देहान्त उपरांत उनके नाम की कृषि भूमि उसके सभी वारिसान यानि प्रार्थीया, अप्रार्थी सं.–1 व 2 एवं जसवीरकौर को सयुक्तं रूप से प्रत्येक को 1/4 हिस्सां के रूप में विरास्त में प्राप्त हुई जो सयुक्तं परिवार की सम्पति जो सभी को सयुक्तं रूप से पैतृक सम्पति के रूप में विरास्तन प्राप्त हुई थी। एक हिस्सेदार जसवीरकौर पुत्री जरनैलसिहं द्वारा विवादित कृषि भूमि में से अपने 1/4 हिस्सा की दस्तबरदारी करने के पश्चात कानूनन शेष हिस्सेदार सयुक्तं रूप से उक्त हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं नियमानुसार दस्तबरदारी करने वाला कोई भी पक्षकार दस्तबरदारी विलेख के द्वारा अपना हिस्सा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं छोड़ सकता बल्कि दस्तबरदारी करने वाला व्यक्ति केवल मात्र अपना हक छोड़ सकता हैं एक हिस्सेदार जसवीरकौर के द्वारा दस्तबरदारी के द्वारा अपना हक त्याग करने के पश्चात प्रार्थीया व अप्रार्थी सं.–1 व 2 उपरोक्त विवादित भूमि के बहिस्सा बराबर के हिस्सेदार हुऐ। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी सं.–1 व 2 के नाम से विवादित भूमि का दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 24.08.2017 के आधार पर दर्ज [illegible] आरम्भ से शुन्य व विधि विरूद्ध है। इस प्रकार एक हिस्सेदार जसवीरकौर पुत्री जरनैलसिहं के द्वारा विवादित भूमि मे से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि [illegible] दस्तबरदारी दिनांक 24.08.2017 के द्वारा हक छोडने के पश्चात प्रार्थीया एव अप्रार्थी सं.–1 व 2 उक्त उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर के हकदार हुऐ जबकि दस्तबरदारी के उपरांत विधिक दृष्टि से दस्तबरदारी करने वाली चौथी हिस्सेदार जसवीरकौर के उक्त कुल

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

विवादित भूमि के 1/4 हिस्सा में से प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं.–1 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं.–2 का भी 1/3 बनता हैं यानि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता है। जो प्रार्थीया के सयुक्तं अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही हैं जिसके सम्बधं में समस्त प्रकार के हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थीया में निहित हो चुके है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं.–1 व 2 के संयुक्त हिन्द परिवार की पारिवारिक सम्पति हैं जिसमे प्रार्थीया एवं अपार्थी सं.–2 का संयुक्त व अविभाजित हित हक हिस्सा एवं कब्जा है। उक्त विवादित भूमि का अभी तक खाता विभाजन नही हुआ है। लेकिन अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने तथ्यों को छूपाकर व दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर दस्तबरदारी में वर्णित 1/4 हिस्सा कृषि भूमि का अकेले अपने पक्ष में इन्तकाल दर्ज करवा लिया जो प्रार्थीया को इल्म हुए बिना एवं विधि विरुद्ध तरीके से करवाया गया है। अत एवं ऐसा इन्तकाल आरम्भ से शून्य हैं लेकिन अब अप्रार्थी सं.–1 व 2 के मन में बेईमानी पनप गई हैं इसलिए वे अपने नाम से दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द करने व उक्त भूमि का बिना विभाजन करवाये अन्यत्र बेचान करने एवं प्रार्थीया के कब्जा में दखलन्दाजी पैदा करने के प्रयासरत हैं जबकि विवादित भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 का बराबर–2 सयुक्त अधिकार व अधिपत्य हैं वैसे भी सयुक्तं सम्पति पर प्रत्येक हिस्सेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा होता हैं चूकिं उपरोक्तानुसार प्रार्थीया का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा बनता हैं इसलिऐ प्रार्थीया उपरोक्त विवादित भूमि में अपने हिस्सा का भूमि की किस्म अनुसार व खाला रास्ता को मध्यनजर रखते हुऐ प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के मध्य हिस्सानुसार खाता विभाजन करवाकर विभाजन उपरांत हिस्सा का पृथक कब्जा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी हैं तथा अपने हक अधिकारो की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई व्यादेश भी प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि अप्रार्थी सं.–1 व 2 उक्त विवादित भूमि के किसी भी भू भाग को किसी प्रकार से अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय करने से व प्रार्थीया के कब्जा में दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से बाज व ममनू रहे। प्रार्थीया ने आज से अरसा पाचं रोज पूर्व अप्रार्थी सं.–1 व 2 से मिलकर कहा कि वह दस्तबरदारी के उपरांत विवादित भूमि में प्रार्थीया को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार मानते हुऐ इसी अनुसार प्रार्थीया के नाम [illegible] रिकार्ड में अंकन करवाकर भूमि की किस्म अनुसार [illegible] कहा तो अप्रार्थी सं.–1 व 2 ऐसा करने से साफ इंकार [illegible] प्रार्थीया को उक्त विवादित भूमि में और कोई हिस्सा नही देगे ब[illegible] वे शीघ्र ही विवादित भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर विवादित भूमि को अन्यत्रं हस्तांतरित

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

रहन बैचान कर खुर्द बुर्द कर देगें। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थीया के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल व अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अप्रार्थी सं.– विवादित कृषि भूमि वाके चक 1 एम एस आर का खाता सं.–3 का पत्थर सं.– 297/445 मुरब्बा नं.–36 का किला नं.–5/3, 6, 7/4, 13/4, 14/2, 15, 16, 17/2, 24/2 की कुल 1.343 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि के किसी भू भाग को किसी भी प्रकार से अन्यत्र हस्तांतरित रहन, बैचान व दान आदि करने से बाज व ममनू रहे मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया यह कि प्रार्थना पत्र कि चक 1 एम एस आर में पत्थर नं.–297/445, मुरब्बा नं.–36 में से 0.331 हैक्टर कृषि भूमि का विवाद हैं शेष भूमि अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थना पत्र में जसवीर कौर पुत्री जरनैल सिंह ने अपना 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं.–1 व 2 को दस्तबदारी दिनांक 24.08.2017 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया गया है। तहसीलदार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए दस्तबदारी का ईन्तकाल सं.–153 दिनांक 01.06.2018 जो कानूनी है। दस्तबदारी द्वारा किसी को भी अपना हक त्याग किया जा सकता है। सभी तथ्य मनगढ़त व गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया का 0.331 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा ही कानूनी बनता है। प्रार्थीया को कतई ही 1/3 हिस्सा नहीं बनता है। बल्कि 0.331 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया का 0.331 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा बनता हैं किसी भी प्रकार से 1/3 हिस्सा नहीं बनता है। अन्य तथ्य गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। कभी भी प्रार्थीया अप्रार्थीगण से नहीं मिले न ही 1/3 के हिस्से के सम्बन्ध में बातचीत की। दस्तबदारी रजिस्ट्रड दस्तावेज हैं जिसे निरस्त व शुन्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। श्रीमान को दस्तबदारी करने को निरस्त करने व शुन्य करने का अधिकार नहीं है। जसवीर कौर ने कानूनी अपना हक गुरचनरण सिंह व चे[illegible] में छोड़ा गया है। जिसका ईन्तकाल नांमाकन सं.–153 दिनांक 18.05.2020 को [illegible] हो चुका है। श्रीमान को ईन्तकाल के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार [illegible] प्रार्थीया का 0.331 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा बनता हैं प्रार्थीया [illegible] 1/3 हिस्सा कतई नहीं बनता है। अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 प्रार्थीया को 0.331 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा प्रत्येक किले से 1 बिस्वा देने को तैयार है। प्रार्थीया द्वारा मात्र अप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

तंग परेशान करने के लिए खिलाफ कानून जाकर गलत दावा पेश किया है। कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीया के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया हैं कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती हैं । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थीया अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सह–खातेदार हैं प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से पर स्थगन लेना चाहती हैं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त, उपयोग, उपभोग करने के हकदार है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। कि प्रार्थीया अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से भूमि दस्तबरदारी से दर्ज हुई है। कानूनन दस्तबरदारी को सिविल न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय को दस्तबरदारी को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता हैं [illegible] में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रा[illegible] के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण अपनी जरूरतों व भूमि उपयोग उपभोग से बाधित व वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अपूर्णीय क्षतिः—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीया अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 16/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested